न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–194 / 2021

वादीनी

पुष्पादेवी पुत्री वंशाराम पत्नि सोहनलाल

जाति मेघवाल निवासी मेवानगर हाल

नेहरू कोलानी बालोतरा

तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1.चेतनराम पुत्र वंशाराम जाति मेघवाल

निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा

2.भागूदेवी पत्नि मोहनलाल पुत्री वंशाराम

जाति मेघवाल निवासी प्याऊ के सामने

खेड़ तहसील पचपदरा

3.अर्जुनराम पुत्र जगमालराम

जाति मेघवाल निवासी मूगड़ा

तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर

4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता वादीनी की ओर से उपस्थित।

2.श्री भगवतसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से उपस्थित।

3.प्रतिवादी संख्या 2 से 4 एकतरफा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:52:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक–20.10.2022

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

1.संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मुतवफी वंशाराम के वारिसान है। ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 280,613/96 व 615/105 कुल रकबा 28–13 बीधा भूमि पैतृक व पुश्तैनी वंशाराम के नाम खातेदारी में इन्द्राज थी और वंशाराम के साथ उसके वारिसान का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा था। कि वंशाराम के फोत होने पर वारिसान नामान्तकरण में वादीनी का भी नाम दायर होना था। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 ने मिलीभगत करतें हुए वादीनी को उसके हक हकूको से वंचित रखतें हुए वादग्रस्त भूमि अपनी खातेदारी में इन्द्राज करवा दी। जबकि वादीनी का अपने बहिस्सा 1/3 हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन वादीनी का वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में नाम नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 01 वादीनी को कब्जाशुदा भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। जबकि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण वादीनी का हक हकूक निहित होने के कारण खातेदारी धोषित करवानें की हकदार है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने व वादीनी मुतवफी वंशाराम की विधिक वारिसान के आधार पर अपना 1/3 हिस्सा खातेदारी धोषणा व स्थाई निधेषाज्ञा जारी करवानें हेतु यह वाद पेश किया है।

2.वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश किया और वादीनी के वाद तथ्यों को स्वीकार करतें हुए इकबालीया जबाव पेश किया। शेष प्रतिवादी बावजूद रजिस्ट्रर्ड सम्मन तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी की ओर से इकबालीया जवाब पेश किये जाने के कारण विवाद के बिन्दु निहित नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

3.वादीनी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–01 वादीनी स्वंय पुष्पादेवी व पी.डब्ल्यू–02 सोहनलाल की ओर से लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में ई.एक्स.पी.1–वादग्रस्त भूमि ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा सं[illegible] कुल रकबा 28–13 बीधा भूमि की जमाबंदी संवत 2075 से 2078 [illegible] प्रति, ई.एक्स.पी.3–नामान्तकरण संख्या 11940 प्रति व [illegible] जारी पेनकार्ड प्रति पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:52:55 IST
Reason: SelfAttested

4.प्रतिवादी पक्ष की ओर से साक्ष्य गवाहान पेश नहीं किये जाने पर प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

5.हमनें वकील वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 वकील की बहस सुनी। वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मुतवफी वंशाराम के वारिसान है। वादीनी की माता का देहान्त वंशाराम के जीवनकाल में हो गया था,कि ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 280,613/96 व 615/105 कुल रकबा 28–13 बीधा भूमि पैतृक व पुश्तैनी वंशाराम के नाम खातेदारी में इन्द्राज थी। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादीनी का 1/3 हिस्सा निहित है और वादीनी का अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,कि वादीनी के पिता वंशाराम का देहान्त होने पर वारिसान की हैसियत के आधार पर फोतगी नामान्तकरण वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दायर किया जाना चाहिए था। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 ने जान बुझकर वादीनी को अधेरे में रखतें हुए वादग्रस्त भूमि आवगी अपनी खातेदारी में इन्द्राज करवा दी । जबकि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादीनी का भी नामान्तकरण में नाम इन्द्राज करवानें की हकदार थी। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वादीनी को उसके हक हकूको से महरूम रखा गया। जबकि पुश्तैनी भूमि में वंशाराम के समस्त वारिसान का बहिस्सा बराबर हक हकूक निहित है और वादीनी का अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण किसी प्रकार की ओर सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर तर्क दिये गये कि वादीनी की ओर से साक्ष्य गवाहान से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है और वादीनी का 1/3 हिस्सानुसार मौके पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादीनी को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार धोषित करते हुए वादीनी का 1/3 हिस्सा खातेदारी धोषित किया जावें।

5.वकील प्रतिवादी संख्या 01 की बहस है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है और मुतवफी वंशाराम के वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 व 2 विधिक वारिसान है। वादग्रस्त भूमि पर वादीनी का 1/3 हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि में वादीनी को 1/3 हिस्सा का सहखातेदार धोषित कर दावा डिक्री किया जाता है,तो कोई आपति नहीं है।

6.हमनें दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात व बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:52:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि नामान्तकरण संख्या 11940 ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 280,613/96 व 615/105 कुल रकबा 28–18 बीधा भूमि के कालॅम संख्या 07 में अंकित प्रविष्टि बन्शा पुत्र उका कौम मेगवाल सा.देह खातेदार के फोत होने पर वारिसान के रूप में प्रतिवादी संख्या 01 (चेतनराम) के नाम नामान्तकरण पारित हुआ,जो पत्रावली के संलग्न ई.एक्स.पी–03 अवलोकन से स्पष्ट है। लेकिन वंशाराम के वारिसान में प्रतिवादी संख्या 01 के अलावा वादीनी व प्रतिवादी संख्या 2 है और वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण फोतगी नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादीनी का भी नाम दायर करवानें की हकदार थी। लेकिन वादीनी को उसके हक हकूक से वंचित रखा गया। जबकि पुश्तैनी भूमि में पुत्र–पुत्रीया का बहिस्सा बराबर हक हकूक निहित होता है और प्रतिवादी संख्या 01 स्वंय ने इकबालीया जबाव में स्वीकार किया है,कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है और वंशाराम के वारिसान में मेरे अलावा वादीनी व प्रतिवादी संख्या 2 विधिक वारिसान है और मेरे साथ वादीनी को सहखातेदार धोषित किया जाता है,तो कोई आपति नहीं है। इससे स्पष्ट साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है और वंशाराम के वारिसान की हैसियत के आधार पर वादीनी भी वादग्रस्त भूमि में खातेदारी धोषित करवानें की हकदार है। वादीनी पक्ष की ओर से बयानात से भी प्रमाणित होता है कि वादीनी वंशाराम की विधिक वारिसान है,वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है और पुश्तैनी भूमि में पुत्र–पुत्रिया का बहिस्सा बराबर हक हकूक निहित होता है। जिसे प्रतिवादी संख्या 01 ने इकबालीया जवाब पेश कर स्वीकार भी किया है। वादपत्र में दर्शित वंशवृक्षावली से भी स्पष्ट है,कि वंशाराम के विधिक वारिसान में वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है,जिसे पक्षकारान ने स्वीकार भी किया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पैतृक व पुश्तैनी होने के कारण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत पुश्तैनी भूमि में हिन्दु को जन्म से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है,और पुश्तैनी भूमि में पिता के जीवनकाल अथवा मरणौपरान्त भी उसके वारिसान खातेदारी अधिकार धोषित करवा सकते है और वादीनी प्रतिवादी संख्या 01 के [illegible]दारी धोषित होनी की हकदार है। वादीनी के वादपत्र के सन्दर्भ [illegible] मय काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया है,ऐसी सूरत में प्रतिवादी संख्या 02 खा[illegible] धोषित करवानें की उक्त प्रकरण में हकदार नहीं है। उपरोक्त विवेचन उपरांत न्यायालय इस नतीजें पर पहुंचा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:32:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है और वादीनी प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदारी घोषित करवाने की हकदार है। ऐसी सूरत में वादीनी का वाद स्वीकार योग्य है।

8.लिहाजा वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 280,613/96 व 615/105 भूमि में वादीनी को प्रतिवादी संख्या 01 (चेतनराम) के साथ सहखातेदार धोषित करते हुए वादीनी का 1/3 हिस्सा सहखातेदारी धोषित किया जाता है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार पचपदरा तदुनसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:52:55 IST
Reason: SelfAttested